

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प 7(51)परि/नियम/मु./2009 / 13154

जयपुर, दिनांक: 20/6/18

कार्यालय आदेश संख्या 21/2018

विभागीय कार्यालय आदेश 04/2013 द्वारा परिवहन श्रेणी यान चलाने के प्राधिकार (Authorisation) एवं परिचालक लाईसेंस आवेदकों के चरित्र एवं पूर्ववत (character & Antecedents) की संतुष्टि हेतु पुलिस विभाग से जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लिए जाने के प्रावधान को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत (Withdraw) किया जाता है।



(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक: प 7(51)परि/नियम/मु./2009 / 13155-59

जयपुर, दिनांक: 20/6/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (नियम)